संशोधित

प्रतिलिपि पत्र संख्या-सम्ब0 101/सत्तर-6-2013-2(123)/2013 दिनांक 16 अगस्त, 2013 द्वारा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./2038/2013 दिनांक 21.06.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन **ज्वाला प्रसाद डिग्री कालेज, नरैनी, फतेहपुर** को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं भूगोल विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2012-13 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2013 से शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. शैक्षिक सत्र 2012-13 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने की स्थिति में सत्र 2013-14 के सम्बद्धता की सशर्त पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थाई) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2013 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थाई) के आदेश निर्गत किए जायेंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

2. विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बद्धता सम्बन्धी शासन को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के साथ महाविद्यालय द्वारा संलग्न किये गये अभिलेख प्रमाणिक एवं सत्य है । विश्वविद्यालय स्तर से इसकी पुनः पुष्टि कर ली जायेगी । अभिलेखों से इत्तर पाये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय का दायित्व होगा कि सम्बन्धित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति से शासन को तत्काल सूचित किया जाये ।

3. महाविद्यालय को प्रदान किये जाने वाले सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा । यदि यह पाया जाता है कि सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है/नहीं किया गया है तो, सम्बद्धता वापस लेने की कार्यवाही की जायेगी और विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

4. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा-37(2) के द्वितीय परन्तुक में यह व्यवस्था है कि "परन्तु अग्रेतर यह कि जब तक सम्बद्धता की सभी निर्धारित शर्तों का महाविद्यालय द्वारा पालन न किया गया हो, तब तक वह अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, जिसके लिये उस सम्बद्धता के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पूर्वगामी परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है ।" अर्थात् विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रस्ताव में इंगित समस्त कमियों की पूर्ति कर ली गयी है, अन्यथा की दशा में आगामी शिक्षण सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा ।

5. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा-37(6)एवं 37(7)में इस सम्बन्ध में सुसंगत व्यवस्था निम्न है:-

   37(6):- कार्यपरिषद् प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को दी जायेगी ।

   37(7):- कार्यपरिषद् इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्यवाही करने का निदेश कर सकेगा जो उसे उस अवधि के भीतर, जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे ।

   उक्त प्राविधानो के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी ।

6. सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों की पूर्ति के उपरान्त ही विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता आदेश निर्गत किया गया है, के सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा एक माह में शासन को सूचना उपलब्ध करायी जायेगी ।

7. सम्बद्धता आदेश निर्गत करने के पहले विश्वविद्यालय के कुलपति तथा कुलसचिव इस बात का भली-भांति परीक्षण कर लेंगे कि विभिन्न मानकों पर पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है और जो भी कमी प्रदर्शित हुयी है उसकी पूर्ति कर ली गयी है । अगर भविष्य में मानकों के विपरीत महाविद्यालय का संचालन पाया गया व अभिलेखों की अप्रमाणिकता प्रकाश में आयी तो यह पूर्व अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी ।

8. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी ।

क्रमशः.............2...

9 मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012, दिनांक 30अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/ 3592/2013 दिनांक 16·9·2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उपसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 20 अगस्त, 2013 के अनुपालन में इस आशय से पृष्ठांकित है कि प्रश्नगत महाविद्यालय द्वारा शासनादेश के बिन्दु 01 में उल्लिखित अभिलेखों को प्रबन्धक द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है । तथा वर्ष 2012–13 का परीक्षाफल मानकानुसार 60 प्रतिशत से अधिक होने के दृष्टिगत दिनांक 01.07.2013 से सम्बद्धता (स्थाई) की अनुमति प्रदान की जाती है ।
2. प्रबन्धक/मंत्री ज्वाला प्रसाद डिग्री कालेज, नरैनी, फतेहपुर को इस आशय से प्रेषित है कि शासन के सम्बद्धता आदेश में वर्णित उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन समयावधि के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करें ।
3. उप. कुलसचिव(परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
4. सहायक कुलसचिव (सम्ब.) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
5. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
6. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(सैय्यद यकीन हुसैन)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : शासन [illegible] 1434 / सत्तर–6 [illegible] (137) [illegible] दिनांक 16.6.2010

[illegible] अनुसचिव, उच्च शिक्षा [illegible] उत्तर प्रदेश शासन [illegible] कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

उपर्युक्त विषयक [illegible] पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / सम्ब / 1076 / 2010 दिनांक 30.4.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन ज्वाला प्रसाद डिग्री कालेज नरैनी, फतेहपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, अर्थशास्त्र एवं भूगोल विषयों में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.07.2010 से आगामी तीन वर्षों हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति [illegible] कर दी है–

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र 'बी' में इंगित समस्त कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राध्यापकों की नियमानुसार नियुक्ति कर उन पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा ।
3. महाविद्यालय द्वारा प्रबन्ध समिति का अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर लिया जायेगा।
4. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

(2) महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियां आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / सम्ब0 / 1900 / 2010 दिनांक 28/07/10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्धक, ज्वाला प्रसाद डिग्री कालेज नरैनी, फतेहपुर को इस आशय से प्रेषित है शासन के सम्बद्धता आदेश के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार कला संकाय के उक्त वर्णित विषयों में 06 सेक्शन (प्रति सेक्शन 60 छात्र) कुल 360 सीटें निर्धारित की जाती है । महाविद्यालय ने उक्त विषयों के शिक्षकों की 15 दिनों के अन्दर चयन प्रक्रिया पूर्ण कर विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।

   इसके साथ ही महाविद्यालय के प्रबन्धक का नाम, दूरभाष / फैक्स नम्बर, ई–मेल तथा महाविद्यालय की वेबसाइट सत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।
2. उप कुलसचिव(परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
3. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
4. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(महेश चन्द)
कुलसचिव

प्रबन्धक
ज्वाला प्रसाद डिग्री कालेज
नरैनी-फतेहपुर

प्रबन्धक
ज्वाला प्रसाद डिग्री कालेज
नरैनी-फतेहपुर

प्रबन्धक
ज्वाला प्रसाद डिग्री कालेज
नरैनी-फतेहपुर